



सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 04.09.2024

- ❖ पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए कानपुर देहात पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया गया भंडाफोड़।
- ❖ थाना मूसानगर पुलिस टीम द्वारा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने की फैक्ट्री [कुल 04 अदद तमन्चा 315 बोर (चालू हालत में), 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमन्चा 12 बोर (चालू हालत में), 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 03 अर्द्धनिर्मित तमन्चा 315 बोर एवं भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण] बरामद करते हुए 02 नफर शातिर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 1. जाहर सिंह पुत्र स्व0 आत्माराम 2. महेन्द्र पुत्र जाहर सिंह निवासीगण ग्राम ट्योंगा, थाना सट्टी, जनपद कानपुर देहात हाल-पता ग्राम क्योटरा बांगर, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात को कुल 04 अदद तमन्चा 315 बोर (चालू हालत में), 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमन्चा 12 बोर (चालू हालत में), 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर, 03 अर्द्धनिर्मित तमन्चा 315 बोर एवं भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण सहित आज दिनांक 04.09.2025 को ग्राम क्योटरा बांगर के जंगल में यमुना नदी के किनारे थाना क्षेत्र मूसानगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मूसानगर पर मु0अ0सं0 63/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. जाहर सिंह पुत्र स्व0 आत्माराम, उम्र करीब 54 वर्ष, निवासी ग्राम ट्योंगा थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात हाल-पता ग्राम क्योटरा बांगर, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात।
2. महेन्द्र पुत्र जाहर सिंह, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम ट्योंगा, थाना सट्टी, जनपद कानपुर देहात हाल-पता ग्राम क्योटरा बांगर, थाना मूसानगर, जनपद कानपुर देहात।

फैक्ट्री का स्थल- ग्राम क्योटरा बांगर के जंगल में यमुना नदी के किनारे थाना क्षेत्र मूसानगर।

पूछताछ का विवरण-

साहब यहां सुनसान जगह है, यहां कभी कोई नहीं आता है। इसलिए यहां आकर तमन्चा बना लेते हैं तथा हम लोग अपनी सुरक्षा हेतु तमन्चा व कारतूस अपने पास रखते हैं। लेकिन आज पकड़े गये साहब गलती हो गयी है, माफ करदो।

अभियुक्त जाहर सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 10/2025 धारा 427/435/504/506 भा0द0वि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 22/2022 धारा 3 उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधिनियम 1970 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 35/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट व धारा 41/102/411/467/468/420/414 भा0द0वि0 थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 116/2008 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

- 5.मु0अ0सं0 130/2007 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
- 6.मु0अ0सं0 84/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात ।
- 7.मु0अ0सं0 251/2010 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात ।
- 8.मु0अ0सं0 0063/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त महेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0063/2025 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात ।

बरामदगी-

1. 04 अदद तमन्चा 315 बोर (चालू हालत में), 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमन्चा 12 बोर (चालू हालत में), 04 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व 03 अदद अर्द्धनिर्मित तमंचा 315 बोर
2. तमन्चा बनाने के उपकरण- बाक 02 अदद, वर्मा 01 अदद, रेती 09 अदद, धौकनी 01 अदद, निहाई 01 अदद, कैंची लोहा बड़ी काटने वाली 01 अदद, समसी 02 अदद, प्लास 01 अदद, आरी 02 अदद, आरी के पत्ता 14 अदद नये व पुराने, कीला 02 अदद, हथौड़ी 03 अदद छोटी व बड़ी, पाना 03 अदद, रिंच 04 अदद, 24 स्प्रिंग छोटी व बड़ी, बसुला 01 अदद, फुंकनी 01 अदद, छेनी 02 अदद, लोहे की प्लेट 05 अदद, लोहे की पिन 03 अदद छोटे व बड़े, लकड़ी का गुटका 01 अदद, तीन टुकड़ा रंग माल, करीब 1 Kg कोयला जला हुआ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मूसानगर पुलिस